



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14122023-250663  
CG-MH-E-14122023-250663

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5090]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2023/अग्रहायण 22, 1945

No. 5090]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2023/AGRAHAYANA 22, 1945

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 12 दिसम्बर, 2023

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 2913 दिनांक 10-07-2023 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

का.आ. 5319(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में "दौंड - मनमाड दोहरीकरण" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी 'उप विभागीय अधिकारी, येवला, उपविभाग येवला' जिला नाशिक, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में विशेष रेल परियोजना "दौंड - मनमाड दोहरीकरण" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	02/2023	मनमाड	नांदगाव	अशोक दगु धात्रक, बापु भागा धात्रक, संजय भागा धात्रक, वाल्याबाई चंद्रकांत कातकाडे, शोभा मधुकर सांगळे, मंगल दिलीप सांगळे, संगिता अनिल उगलमुगले	229/1	1	4.35	0.21

[फा. सं. G197/2023/GOM/DD-MMR/Village/Dec/20A/Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

### CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th December, 2023

(In regard to E-Gazette Notification No. 2913 dated 10-07-2023, the para mentioned below should be Treated as corrected details in previous notification)

**S.O. 5319(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Daund – Manmad doubling project** in the District of **Nashik** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer “Sub-Divisional officer Yeola, Sub Division Yeola”, District Nashik** Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project Daund – Manmad doubling project in the State of Maharashtra.**

Sl. No.	Land Acquisition Case No.	Name of the Village	Taluka	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R.)	Acquisition area (H.R.)
1	02/2023	Manmad	Nandgaon	Ashok Dagu Dhatriak, Bapu Bhaga Dhatriak, Sanjay Bhaga Dhatriak, Walyabai Chandrakant Katkade, Shobha Madhukar Sangle, Mangal Dilip Sangle, Sangita Anil Ugalmugle	229/1	1	4.35	0.21

[F.No. G197/2023/GOM/DDMMR/Village/Dec/20A/Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDAY, Chief Administrative Officer (Construction)